रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 131] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 23, 1975/ज्येष्ठ 2, 1897

No. 131] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 23, 1975/JYAISTHA 2, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 23rd May 1975

G.S.R. 294(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts motor cars falling under sub-item (2) of Item No. 34 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of ten per cent. **ad valorem,** subject to the following conditions that—

(a) an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise (hereinafter referred to as the said officer) is satisfied that such motor cars are required for use solely as taxis; and

(b) the manufacturer furnishes to the said officer a certificate from an officer authorised by the concerned State Transport Authority in this behalf within three months of the date of clearance of the motor car by the manufacturer after payment of duty or such extended period as the said officer may allow, to the effect that each such motor car has been registered for use solely as a taxi.

[No. 141/75]

LAJJA RAM, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली 23 मई, 1975

सा०का०नि० 294(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 34 की उप मद (2) के अन्तर्गत आने वाली मोटर कारों को, उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उतने भाग से, जो मूल्यानुसार दस प्रतिशत से अधिक हो, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन छूट देती है कि—

(क) किसी अधिकारी का, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलक्टर (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकारी कहा गया है) से नीचे की पंक्ति का न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी मोटर कारें केवल टैक्सियों के रूप में उपयोग के लिए ही अपेक्षित हैं ; और

(ख) विनिर्माता, शुल्क के संदाय के पश्चात् विनिर्माता द्वारा मोटर कार की निकासी की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो उक्त अधिकारी अनुज्ञात करे, उक्त अधिकारी को, सम्बद्ध राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि ऐसी प्रत्येक मोटर कार का रजिस्ट्रीकरण केवल टैक्सी के रूप में उपयोग के लिए ही किया गया है ।

[सं० 141/75]

लज्जा राम, अवर सचिव

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975